सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 192/2021 दिनांक- 1 5 अप्रैल 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

1. थाना- बरदह

जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया,जिला बदर अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनाँक 15.04.2021 को उ0नि0 संजय सिह मय हमराह द्वारा वांछित,वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत भगवानपुर नहर पुलिया के पास खडे होकर वाहनो की चेकिग कर रहे थे उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति विनोद कुमार तिवारी जो ग्राम बौवापार का जिला बदर अपराधी है जो गांव मे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मे गांव के लोगो को एकत्रित करके प्रचार कर रहा है । इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराहियान के साथ मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुचकर एक व्यक्ति को समय 12.30 बजे गिफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम विनोद कुमार तिवारी पुत्र मेवालाल तिवारी निवासी बौवापर थाना बरदह जिला आजमगढ बताया। भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि मै वर्तमान मे जिला बदर हू लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मे प्रचार हेतु आया था इसलिए आपलोगो को देखकर भाग रहा था कि आप लोगो ने पकड लिया है । पकडा गया यह व्यक्ति थाना बरदह का जिला बदर अपराधी है जिसे दिनांक 11.01.2021 को अपर जिला मजिस्ट्रेट भू-राजस्व आजमगढ द्वारा 06 माह के लिए जिला बदर किया गया आदेश की प्रति आरोपी/अभियुक्त को हस्तगत कराया जा चुका है और जिलाबदर के संबंध मे उक्त व्यक्ति को जौनपुर सीमा पर छोडा गया था और आवश्यक हिदायत किया गया था परन्तु इसके उपरान्त भी वह थाना क्षेत्र मे आकर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए पाया गया इस प्रकार अभियुक्त द्वारा चुनाव के दृष्टीगत जनपद मे लागू धारा 144 सीआरपीसी के उलंघन पर धारा 188 भादवि का दण्डनीय अपराध व धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियत्रंण अधिनियम 1970 का दण्डनीय अपराध बताकर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

विनोद कुमार तिवारी पुत्र मेवालाल तिवारी सा0 बौवापार थाना बरदह जिला आजमगढ

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं082/2021 धारा 188 भादवि व धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियत्रंण अधिनियम 1970 थाना बरदह जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 220/19 धारा 420/406/506 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 संजय सिह मय हमराह हे0का0 योगेन्द्र यादव व हे0का0 सतीश सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ

2. थाना मुबारकपुर

वायरल जुलूस विडियो व आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही, जुलूस में प्रयुक्त वाहन के साथ चार गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान कोविड- 19 के दृष्टिगत तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी

निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में दिनांक- 14.04.2021 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि ग्राम मोहब्बतपुर में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी श्रीमती पूनम राजभर के समर्थन में पूर्व ग्राम प्रधान सुरेन्द्र सिंह वाहन संख्या – UP 50BQ 5001 से तथा 30-40 मोटर साईकिल सवार समर्थको को लेकर विना किसी अनुमति के जुलूस निकाले जिसका विडिओ सोसल मिडिया पर वायरल हुआ जिसका संज्ञान लेकर आज दिनांक- 15.04.2021 को वाहन सहित लोगो गिरफ्तार किया गया है , उक्त लोगो द्वारा जनपद में लगी धारा 144 द0प्र0सं0 व आदर्श आचार संहिता का उल्घन किया गया है , तथा कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण में जानबुझ कर लापरवाही की गयी है इनका यह कृत्य एक दण्डनीय अपराध है तथा सोशल मिडिया पर वायरल विडियो तथा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

NCR No- 30/2021 धारा 171च, 188 IPC थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1.आकाश सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह ग्राम मुहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2.सौरभ सिंह पुत्र राजकुमार सिंह ग्राम मुहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3.अजय उर्फ लकी सिंह पुत्र रमाकांत सिंह ग्राम मुहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4.शमशेर अली पुत्र अंसार ग्राम मुहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी

जुलूस में प्रयुक्त वाहन नं0- UP 50BQ 5001

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1.श्री अखिलेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
2.हे0का0 सन्तोष कुमार थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
3.का0 जगभान पाल थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
4. का0 दीपक कुमार थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
5. म0का0 काजल सिंह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

3. थाना-रौनापार

एक वारण्टी गिरफ्तार

दिनांक 15.04.2021 को थानाध्यक्ष द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तगणों के घरो व संभावित स्थानों पर दबिश दिया गया तो दौराने दबिश अभि0 विनोद सिंह पुत्र शिवबचन सिंह सा0 चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद मिला जिनका NBW मा0 न्यायालय अपर सीजेएम कोर्ट नं0 10 आजमगढ़ सम्बन्धितमु0न0 2964/15 धारा 8/22 NDPSमें जारी था को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 12.15 बजे अभियुक्त उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

विनोद सिंह पुत्र शिवबचन सिंह सा0 चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री तारकेश्वर राय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2 .का0 हे0का0 कृपाशंकर सिंहथाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 कीर्ति सिंहथाना रौनापार जनपद आजमगढ़